प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 28.03.2021

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा कनियान-कांधला मार्ग पर हुई लूट का किया सफल अनावरण, 02 लूटेरे गिरफ्तार व लूट में शामिल 01 बाल अपचारी हिरासत में, कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल एवं घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद।

दिनांक 27.03.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी व लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इन वारदातों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर डंगडूंगरा नहर पुल से विगत दिनों कनियान से कांधला रास्ते पर हुई लूट के 02 लुटेरे को गिरफ्तार करते हुए लूटी हुई मोटरसाइकिल प्लेटिना UP-12P/8088 व 03 अवैध चाकू सहित लूट में शामिल 01 बाल अपचारी को हिरासत में लेते हुए लूट की घटना का सफल अनावरण करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कांधला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 29.01.2021 को श्री राजवेद पुत्र सुखबीर सिंह निवासी ग्राम कनियान थाना कांधला शामली द्वारा ग्राम कनियान से कांधला आते समय मोटरसाइकिल सवार चार बदमाशों द्वारा चाकू दिखाकर उससे 10,000 रुपये, मोबाइल व मोटरसाईकिल प्लेटिना नम्बर UP12P8088 को लूट कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव द्वारा लूट की उक्त घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध प्रभारी निरीक्षक कांधला, सर्विलांस एवं एसओजी की टीमों का लगाया गया था।

अपराध कारित करने का तरीका:- गिरफ्तार अभियुक्तों से हुई पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई है कि वे सुनसान रास्तों पर दोपहिया वाहन पर अकेले जाते व्यक्ति को देख उसे हाथ का इशारा रोकने हेतु करते है और जैसे ही वाहन सवार रूकता है, तो उसे चाकू व डंडा दिखाकर उसके पास मौजूद नकदी, कीमती सामान व वाहन लूट लेते हैं। बरामदा चाकू कनियान मार्ग पर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति से लूट की घटना कारित किये जाने में प्रयोग किये जाने की जानकारी हुई है, उक्त लूट में उनके साथ हिरासत में लिये गये बाल अपचारी के भी शामिल होने की जानकारी दी गई है। अभियुक्तगण द्वारा अन्य और की गई घटनाओं के सम्बन्ध में गहन पूछताछ जारी है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. सचिन राठी पुत्र देशपाल निवासी मौहल्ला पट्टी धीमाना ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।
2. अमर राठी पुत्र जितेन्द्र निवासी मौहल्ला पट्टी धीमाना ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

1- मु0अ0सं0 33/21 धारा 392/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1- लूटी गई मोटरसाईकिल प्लेटिना रंग काला न0 UP-12P/8088।

2- घटना में प्रयुक्त 03 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1- व0उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री राधेश्याम थाना कांधला जनपद शामली।
4.है0का0 हरेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
5.का0 ललित शर्मा थाना कांधला जनपद शामली।
6.का0 अरुण कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
7.का0 दिग्विजय हुड्डा थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा 03 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 19 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का, 20 लीटर कच्ची शराब, 10 लीटर रेक्टीफाइड एवं शराब तस्करी में प्रयुक्त अल्टो कार बरामद।

दिनांक 27/28.03.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आगामी त्यौहारों एंव पंचायत चुनावों के शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अलग-अलग कार्यवाहियों में 03 अभियुक्तो को 19 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का, 20 लीटर अवैध कच्ची शराब, 10 लीटर रेक्टीफाइड शराब एवं तस्करी में प्रयुक्त अल्टो कार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सलेख पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम ऊंचा गांव थाना कैराना जनपद शामली।
2. ओमपाल पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम ऊंचा गांव थाना कैराना जनपद शामली।
3. उत्तम पुत्र सहदेव निवासी ग्राम भूरा खुर्द थाना भौराकलां जनपद मु0नगर।

बरामदगी का विवरणः-

1. अवैध 19 पेटी देशी शराब रसीला सन्तरा हरियाणा मार्का।
2. अवैध कच्ची शराब 20 लीटर व रेक्टीफाइड शराब 10 लीटर।
3. शराब तस्करी में प्रयुक्त अल्टो कार नम्बर UP-70AE/8840

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना कैराना जनपद शामली।
2. है0का0 लोकेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
3. है0का0 सुनील थाना कैराना जनपद शामली।
4. का0 मनोज कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
5. का0 मोहित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 गैंगस्टर गिरफ्तारः-

आज दिनांक 28.03.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व मे थाना कैराना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर कांधला तिराहा से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 गैंगस्टर रामकुमार उर्फ राजकुमार उर्फ छोटू व विक्की को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण पर अवैध शस्त्र निर्माण को लेकर गैंगस्टर के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1- रामकुमार उर्फ राजकुमार उर्फ छोटू पुत्र सुरेन्द्र निवासी पट्टी चौधरान ग्राम लिसाढ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2- विक्की पुत्र सोमपाल निवासी पट्टी चौधरान ग्राम लिसाढ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1- मु0अ0सं0 376/19 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

2- मु0अ0सं0 146/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2- का0 आशीष थाना कैराना जनपद शामली।

3- का0 रजनीश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 05.03.2021 को हुए हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामदः-

आज दिनांक 28.03.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा दिनांक 05.03.2021 को हुई हत्या के प्रयास की घटना में वांछित चल रहे अभियुक्त को चेकिंग के दौरान सूचना पर सिम्भालका अण्डरपास से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त घटना में लिप्त 01 अभियुक्त सन्नी को पूर्व में दिनांक 09.03.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

ज्ञात हो कि दिनांक 05.03.2021 को श्री विनीत कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली द्वारा उसके भतीजे विशाल को सन्नी पुत्र साधु, अक्षय पुत्र कवंरपाल आदि द्वारा भगतजी स्वीट वाली गली में कहासुनी के दौरान गोली मारी थी, इस सम्बंध में तत्काल पुलिस अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1-दीपक उर्फ भगवान पुत्र सुरेन्द्र मलिक निवासी ग्राम सल्फा थाना कांधला जनपद शामली।
हालपता मौहल्ला रेलपार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-मु0अ0सं0 102/21 धारा 307,506,34 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1-घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-5

1- उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2- हे0का0 सुशील कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।